न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3229–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–9–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राधौगढ़ जिला गुना के प्रकरण कमांक 31/अपील/2013–14.

.....

शिवचरण पुत्र खुमानसिंह
निवासी भोलापुरा तहसील राघौगढ़,
जिला गुना म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती किरण शिवहरे पत्नि चंद्रकांत शिवहरे,
निवासी एलआईसी 123 साडा कालोनी, फेस–1,
खिरिया राघौगढ जिला गुना

..... अनावेदक

.....

श्री चन्द्रशेखर पाठक, अभिभाषक–आवेदक
श्री प्रेमसिंह पाल, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 17/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राधौगढ़ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका श्रीमती किरण शिवहरे पत्नि चन्द्रकांत शिवहरे द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम भोलापुरा तहसील राघौगढ स्थित सर्वे कमांक 51/1 रकबा 2.090 हेक्टेयर का अनावेदक से कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 04/अ–70/2010–11 दर्ज कर दिनांक 13–8–2012 को आदेश

पारित कर उक्त भूमि से आवेदक को बेदखल कर अनावेदिका को कब्जा दिलाया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–9–2015 को आदेश पारित कर अपील अबधि बाहय होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में अंतरिम आदेश पारित कर अपील समय सीमा में मानकर ग्राह्य की जाकर स्टे दिया गया है, इसलिये बाद में अंतिम आदेश पारित करते समय अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को विधिवत् सूचना पत्र की तामीली भी नहीं करायी गयी है और आवेदक की अनुपस्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है । इसी आधार पर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् आवेदक को सूचना दी गई थी । तर्क में यह भी बताया कि सिविल न्यायालय से अनावेदक के पक्ष में आदेश हो चुका है तथा अपील में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन भी है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–5–2014 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं दिनांक 20–5–2014 को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं । तदोपरान्त उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 27–8–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये विलम्ब क्षमा किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–9–2015 को

आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक बार पारित आदेश में अपील समय सीमा में मान्य की गई है, तब बिना पुनर्विलोकन की अनुमति लिये उक्त आदेश के अस्तित्व में रहते हुये उसके विपरीत आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवे चना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–9–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर